Phone No. – 01437-220164 (O)
Email – cao.cswri@icar.gov.in
Email- dpc.cswri@icar.gov.in

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
केन्द्रीय भेड़ एंव ऊन अनुसंधान सस्थान
अविकानगर, तह. मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान (भारत) 304 501

ICAR – Central Sheep and Wool Research Institute
Avikanagar, Tehsil – Malpura, Distt. – Tonk, Rajasthan (India) 304 501

दिनांक : 13-01-2022

परिपत्र

विषय : कोरोना वायरस एवं ओमिक्रॉन के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु निवारक उपाय।

1. उपरोक्त विषय में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 7(1)गृह–7/2021 दिनांक 09.01.2022 द्वारा कोविड़ के नए वैरिएंट ओमिक्रॅान से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा–निर्देशों की संस्थान के कार्यकलापों एवं जनहित में कड़ाई से पालन करें।
2. संस्थान के सभी अधिकारी/कर्मचारी एवं संविदाकर्मी जिन्होंने कोविड़ वैक्सीन की दोनों ड़ोज नहीं लगवाई हो, लगवाना सुनिश्चित करें।
3. 'एहतियात ईलाज से बेहतर है' का ध्यान रखते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु उपयुक्त व्यवहार करें जैसे – अच्छी गुणवत्ता का मास्क पहने, जिससे नाक व मुंह पूरा ढ़का हुआ हो एवं सामाजिक दूरी की पालना करें। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान से बचें और गुटका–तम्बाकू नहीं थूकें।
4. सभी को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक हो, को छूने के उपरांत तुरंत हाथ साबुन–पानी से धोये अथवा सेनेटाईज करें।
5. यदि किसी को भी खांसी, जुकाम, बुखार, थकान इत्यादि लक्षण हो तो तुरन्त प्रभाव से डाक्टर की सलाह लें व सलाहनुसार होम कारेन्टाईन हो जावें और इसकी सूचना अपने प्रभारी के द्वारा सक्षम अधिकारी महोदय को दें।
6. शोपिंग सेंटर की दुकानों पर सामान लेने वाले एक साथ भीड़ जमा ना करें। दुकान पर सामान लेते समय 'दो गज की दूरी, मास्क हैं जरूरी' का पालन करें। शोपिंग सेन्टर की दुकानों को प्रतिदिन रात्रि 8.00 बजे तक ही खोलने की अनुमति हैं।
7. कार्यालय से संबंधित ड़ाक/पत्र बहुत आवश्यक हो तो ही व्यक्तिशः भेजें अन्यथा अधिक से अधिक ई–ऑफिस / ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करें।
8. एक विभाग/अनुभाग से दूसरे विभाग/अनुभाग में अकारण नहीं जावें, जहां तक होसके दूरभाष का प्रयोग करें।
9. यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी/अनुबंधित कर्मचारी अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता हैं तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें एवं चिकित्सक द्वारा दी गई दवाई की पर्ची/सलाह के साथ सक्षम अधिकारी महोदय को सूचित करते हुए घर से कार्य (Work from home) करने की अनुमति प्राप्त की जा सकती हैं।
10. संस्थान परिसर में बाहरी व्यक्तियों (पारिवारिक व्यक्तियों को छोड़कर) का अकारण प्रवेश वर्जित है। अतः संस्थान सुरक्षा अनुभाग बाहर से आने वाले व्यक्तियों को संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से दूरभाष पर बात कर आवश्यकता होने पर थर्मल स्क्रेनिंग के उपरांत ही संस्थान में प्रवेश दें।
11. अकारण मुख्यालय छोड़ने से बचें, आवश्यकता पड़ने पर दो दिन से ज्यादा मुख्यालय से बाहर रहने पर आर.टी. पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट के साथ कार्यग्रहण करें।

यह सक्षम अधिकारी महोदय की अनुमति से जारी किया गया है।

–हस्ता/–
(सुरेश कुमार)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

वितरण–

1. संस्थान के सभी विभाग/अनुभाग प्रभारी अपने अधिनस्थ कर्मचारियों/अनुबंधित कर्मचारियों के संज्ञान में लाये और उनकी उपस्थिति एवं कार्य की सुनिश्चितता करते हुए कोरोना गाईडलाईन की कड़ाई से पालना करायें।
2. प्रभारी, ए.के.एम. यू. को संस्थान वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके व्यक्तिशः ई–मेल/वाट्सप पर प्रेषित करने हेतु।

Digitally Signed by Suresh Kumar
Date: 13-01-2022 17:28:33
Reason: Approved